

॥ अ धि सू च ना ॥

संचिका संख्या-06/EH & S-02-03/2026...7475/जे0, पटना, दिनांक-10.09.26

बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के प्रावधानों के तहत गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ विधि पदाधिकारियों की कोटि में सरकारी प्लीडर (GP) के पद पर निम्नांकित अधिवक्ताओं को वचनबद्ध किया जाता है:-

क्र०सं०	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन संख्या	मोबाईल नम्बर
1.	Sri Deepak Kumar	1193/2003	7543900245
2.	Sri Mukesh Kumar	5632/1999	9934831176
3.	Sri Kumar Sachin	1972/2003	9835095675
4.	Sri Bikramaditya Singh	387/1980	9431446304
5.	Sri Arvind Kumar	2566/1998	9304296033
6.	Smt. Priya Gupta	2476/2009	7909047441
7.	Sri Kumar Gangesh Gunjan	2667/2001	8789828669
8.	Sri Pramod Kumar Mishra	4912/1996	9334205807
9.	Md. Jawed Gaffar Khan	377/1998	9431060204
10.	Sri Mithlesh Kumar Gupta	5945/1999	9835268532
11.	Sri Ravi Kumar	201/2006	9430889998
12.	Sri Rabindra Kumar Priyadarshi	3364/1997	9931044121
13.	Sri Rakesh Kumar	2959/2001	6299863636
14.	Sri Dhirdyuti Kumar Verma	391/2007	9470018881
15.	Sri Chandra Shekhar Azad	1668/2003	9431084336
16.	Sri Ravi Kumar Pandey	1545/2009	9507712014
17.	Sri Shailendra Kumar Singh	649/1994	9334124326
18.	Sri Rajesh Kumar	B/116A/1997(R)	7739765121
19.	Sri Arbind Kumar	484/2003	941459586
20.	Sri Subansh Kumar Sinha	419/1977	9931424027
21.	Sri Sanjeev Kumar Mishra	98/2008	9661939131
22.	Sri Raghwendra Pratap Singh	471/2008	8544070344
23.	Sri Kumar Samarjeet Singh	3032/2007	9431050262
24.	Sri Radha Raman	2455/2001	9835205856

25.	Sri Vishwa Ranjan Choudhary	7854/1996	9835661500
26.	Sri Rajesh Kumar	892/1987	9905558730
27.	Sri Balram Kapri	97/1998	9431074084
28.	Sri Kamlesh Kumar	2665/1997	8084785353
29.	Sri Kaushal Kishor	702/2003	9835435871
30.	Sri Rakesh Kumar Singh	B/1697A/2007	8789751503
31.	Sri Pramod Kumar Verma	5882/1996	9835427885
32.	Sri Jogendra Kumar	1801/1993	9835461307
33.	Sri Yogendra Kumar Singh	118/1987	9431483511
34.	Sri Pramod Kumar Singh	411/1998	9708170411
35.	Sri Sanjay Prasad	1403/1993	9955171144
36.	Sri Vijay Kumar Choudhary	3734/1995	706179822
37.	Sri Uma Shankar Prasad Singh	2059/1996	9431645817
38.	Smt. Pronoti Singh	405/1993	7979725668
39.	Sri Swapnil Kumar Singh	2067/2003	9934765641
40.	Smt. Archana Jha	1599/2008	9470018163

2. उक्त वचनबद्ध सभी सरकारी प्लीडर (GP) को उनके नाम के पहले अंकित क्रम संख्या से ही जाना जायेगा। अर्थात् क्रम संख्या-01 में उल्लेखित नाम को सरकारी प्लीडर संख्या-01 (GP-01) कहा जायेगा। यह क्रम परस्पर वरीयता का निर्धारण नहीं माना जायेगा।
3. उक्त सभी विधि पदाधिकारी वचनबद्धता के उपरांत प्रभार ग्रहण की तिथि से सरकार के अगले आदेश तक पद को धारित करेंगे एवं देय शुल्क का भुगतान प्रभार ग्रहण की तिथि (पूर्वाहन/अपराहन को दृष्टिपथ में रखकर) से किया जायेगा।
4. उक्त सभी विधि पदाधिकारी को विधि विभागीय पत्रांक-1547/जे0, दिनांक-24.02.2023 एवं विधि विभागीय पत्रांक-118/जे0, दिनांक-08.01.2025 (समय-समय पर यथा संशोधित) अथवा भविष्य में राज्य सरकार द्वारा जो विनिश्चित की जायेगी, के अनुसार शुल्क भुगतान किया जायेगा। शुल्क की देयता के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश, भुगतान की प्रक्रिया में प्रभावी होगा।
5. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी किसी अन्य स्थान पर नियुक्त/वचनबद्ध हो एवं राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से Fixed मासिक शुल्क प्राप्त कर रहे हो या जो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी न्यायाधिकरण में प्रभारी सरकारी अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हो तो उन्हें पद से एक (01) माह के अन्दर त्याग-पत्र देना अनिवार्य होगा। अन्यथा इस संबंध में संज्ञान होने पर महाधिवक्ता की अनुशंसा पर उनकी वचनबद्धता राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

6. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी उक्त नियमावली के नियम-7 में निरर्हताएँ के संबंध में उल्लेखित शर्तों के अधीन किसी भी समय निरर्हक पाये जाते हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी वचनबद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
7. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी राज्य सरकार एवं महाधिवक्ता द्वारा जारी आदेश/निदेश/अनुदेश का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में समीक्षोपरांत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी वचनबद्धता राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
8. विधि पदाधिकारी सरकार के खिलाफ या सरकारी निगम/बोर्ड/अर्द्धनिकाय या जहाँ सरकार का कोई हित निहित है, के मामले में सरकार के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, यह मामला उनकी वचनबद्धता की तिथि के पूर्व का ही क्यों न हो। ऐसे मामले दृष्टान्त में आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी।
9. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, उक्त नियमावली के नियम-8 में उल्लेखित कर्तव्यों का पालन करेंगे। नियम-8 में उल्लेखित कर्तव्यों के पालन में असफलता की स्थिति में विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श से विधि विभाग, बिहार के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विधि पदाधिकारी के कार्य से किसी भी समय मुक्त कर दिया जायेगा।
10. उक्त नियमावली के नियम-11 के आलोक में उक्त सभी वचनबद्ध विधि पदाधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन महाधिवक्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन उनके द्वारा विधि विभाग को भेजी जायेगी तथा समीक्षोपरांत विधि पदाधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उन्हें विधि पदाधिकारी के पद से विमुक्त कर दिया जायेगा।
11. सभी विधि पदाधिकारी अपने कार्यों की विवरणी, जिसमें उनके द्वारा निष्पादित केस एवं विशेष रूप से सरकार के पक्ष एवं विपक्ष में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए विद्वान महाधिवक्ता को प्रत्येक माह समर्पित करेंगे। इसमें यह भी उल्लेख करेंगे कि कितने मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल हुआ और कितने में नहीं हुआ।
12. विधि पदाधिकारियों को अपने आवंटित मामलों में सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। माननीय उच्च न्यायालय से विधि पदाधिकारी की अनुपस्थिति के शिकायत पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
13. सभी विधि पदाधिकारी, सरकार के विरुद्ध आदेश पारित होने पर महाधिवक्ता को सूचित करते हुए संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को अपने परामर्श के साथ प्रतिवेदित करेंगे कि इस मामले में अपील/पुनर्विचार दायर किया जा सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र (अधिकतम एक सप्ताह के अंदर) अपने परामर्श के साथ संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे।
14. उक्त वचनबद्ध विधि पदाधिकारियों में प्रत्येक को 04 सहायक अधिवक्ता अनुमान्य होंगे। उक्त नियमावली के नियम-9 के आलोक में सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता महाधिवक्ता की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। सहायक अधिवक्ता की अनुमान्यता एवं इस संबंध में महाधिवक्ता की अनुशंसा से राज्य सरकार द्वारा भविष्य में किये जानेवाले विनिश्चय अथवा समय-समय पर इस संबंध में निर्गत आदेश लागू होगा।

15. सभी विधि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वचनबद्धता के दो माह के अंदर सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता हेतु अनुशंसा के संबंध में कार्रवाई कर ली जाय। साथ ही अगर बीच में किसी सहायक अधिवक्ता को हटाकर किसी दूसरे सहायक अधिवक्ता को वचनबद्ध किया जाता है तो सहायक अधिवक्ता को हटाने के एक सप्ताह के अंदर विधि विभाग को महाधिवक्ता के माध्यम से सूचित किया जायेगा तथा उसके एक महीने के अंदर दूसरे सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता हेतु अनुरोध किया जायेगा।

16. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 में उल्लेखित सभी प्रावधानों का पालन करेंगे।

17. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सरकारी प्लीडर (GP) के पद पर नियुक्ति/ वचनबद्धता हेतु निर्गत पूर्व के सभी आदेशों को अवक्रमित किया जाता है।

18. यह आदेश, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



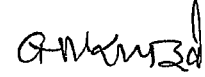
(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.....7475/जे0,

पटना, दिनांक-10.09.26

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सी0डी0 प्रति (सॉफ्ट कॉपी) सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा 100 (सौ) गजट की प्रतियाँ इस विभाग में भेजने हेतु अग्रसारित।



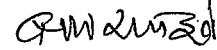
(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.....7475/जे0,

पटना, दिनांक-10.09.26

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.....7475/जे0,

पटना, दिनांक-10.09.26

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना एवं माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

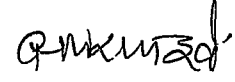


(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.....7475/जे0, पटना, दिनांक-10.09.26

प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्वद/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना एवं वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.....7475/जे0, पटना, दिनांक-10.09.26

प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसे महाधिवक्ता कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

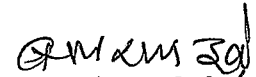


(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.....7475/जे0, पटना, दिनांक-10.09.26

प्रतिलिपि:- आईटी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


10.09.26
(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।